राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय व तृतीय तल, ब्लॉक–5, डॉ.एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

फोन नं: 0141–2705498, 5110377 वेबसाईट :– www.rajssa.nic.in फैक्स नः 0141–2701822

क्रमांक : राप्राशिप / जय / संस्था–1 / सामान्य / 2018–19 / 6278

दिनांक :– 11/9/18

कार्यालय आदेश

स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्र क्रंमाक प. 21(32)प्राशि / आयो / 2017 पार्ट जयपुर दिनांक 08.08.2018 के द्वारा नवीन पुर्नगठित व्यवस्था के अनुसार समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का गठन किया जाकर एकीकृत प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की है। उक्त पत्रानुसार राज्य के समस्त 33 जिलों में जिला स्तर पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान के अधीन जिला स्तरीय शिक्षा संकुल स्थापित किया गया है।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान का पद शिक्षा विभाग में उपनिदेशक के समकक्ष पद है। वर्तमान में राज्य में जिला स्तर पर उक्त श्रेणी के अधिकारी कार्यरत नहीं है।

अतः राज्य सरकार द्वारा उक्त श्रेणी के अधिकारियों की पदोन्नति से नियुक्ति होने तक मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान कार्यालय का कार्यकारी दायित्व जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा / माध्यमिक शिक्षा (प्रथम) को अतिरिक्त कार्यभार के रूप में आवंटित किया जाता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

www.rajteachers.com

(शिवांगी स्वर्णकार)
राज्य परियोजना निदेशक

क्रमांक : राप्राशिप / जय / संस्था–1 / सामान्य / 2018–19 / 6279

दिनांक :– 11/9/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ :–

1. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, परिषद मुख्यालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, परिषद मुख्यालय, जयपुर।
3. निदेशक, प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, परिषद मुख्यालय, जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक / उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, समस्त कार्यालय।
6. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, समस्त जिले।
7. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा / माध्यमिक शिक्षा (प्रथम), समस्त जिले को समग्र शिक्षा अभियान द्वारा जारी आदेश / निर्देशों की पालनार्थ।
8. समस्त जिला परियोजना समन्वयक, रामाशिप / एसएसए।
9. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, रामाशिप / एसएसए।
10. शाला दर्पण / शाला दर्शन ....।
11. प्रोग्रामर, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, परिषद मुख्यालय, जयपुर।
12. रक्षित पत्रावली।

अति. राज्य परियोजना निदेशक

D:\ADM\Letter_H_06.docx